रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939
No. 298] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(तम्बाकू बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई , 2017

फा. सं. 2/3/2016–इपी (एग्री.VI).—तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 33 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तम्बाकू बोर्ड एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2013, में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों को तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) वे शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2013 (जिसे एतदपश्चात मूल विनियम कहा जाएगा), के विनियम 1 में खंड (ड़) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगी अर्थात:—

"(ड़) बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का आशय, पदों पर नियुक्ति करने के अधिकार प्राप्त प्राधिकारी से है, जो कि निम्नानुसार है:—

कार्यकारी निदेशक :—(i) सरकार के साथ पूर्व परामर्श में अभिज्ञात प्रमुख पदों के अलावा वरिष्ठ स्तर पर प्रबंधन के तहत पदों, जिनका अधिकतम वेतनमान गैर-तकनीकी के मामलें में 39,100 रू प्रतिमाह और तकनीकी के मामलें में 39,100 रू प्रतिमाह से अधिक न हो और उन पदों, जिनका अधिकतम वेतमान गैर-तकनीकी के मामलें में 39,100 रू प्रतिमाह तथा तकनीकी के मामलें में 39,100 रू से अधिक हो, पर नियुक्ति बोर्ड के अनुमोदन से की जाएगी।

(ii) "मध्यम स्तर प्रबंधन" के तहत पदों के लिए,

(iii) "कनिष्ठ" स्तर प्रबंधन के तहत पदों के लिए।"

(3) मूल विनियम में, विनियम 13 में "अध्यक्ष" शब्द के लिए "कार्यकारी निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) मूल विनियम में, विनियम 15 में "अध्यक्ष" शब्द के लिए "कार्यकारी निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(5) मूल विनियम में, विनियम 17 में "अध्यक्ष" शब्द के लिए "कार्यकारी निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(6) मूल विनियम में, अनुसूची में (i) कॉलम 13 (तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016 से कॉलम 12 पढ़ा जाए) में "क्षेत्रीय प्रबंधक", "प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) और "प्रबंधक (व्यापार खंड)" से संबंधित क्रम संख्या 1, 2 एवं 3 के सामने संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियों को क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"**यदि डीपीसी है तो इसका गठन निम्नवत होगा**

1. कार्यकारी निदेशक – अध्यक्ष

2. सचिव – सदस्य

3. केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' अधिकारी के समकक्ष दो अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी का हो- सदस्य"

(ii) कॉलम 13 (तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016 से कॉलम 12 पढ़ा जाए) में "नीलामी अधीक्षक/वरिष्ठ ग्रेडिंग अधिकारी", "उप–प्रबंधक (लेखा)", "सहायक प्रबंधक (लेखा)", "सांख्यिकीय अधिकारी", "अध्यक्ष के निजी सचिव", "क्षेत्र अधिकारी"/तकनीकी सहायक", "लेखाकार /अधीक्षक", "वरिष्ठ अन्वेषक", "वरिष्ठ अनुवादक", "पद्धति विश्लेषक", "प्रोग्रामर" "हिन्दी अधिकारी" और "आशुलिपिक ग्रेड 1" के पद से संबंधित क्रम संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 28, एवं 34, के लिए संबंधति प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियों को क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"**यदि डीपीसी है तो इसका गठन निम्नवत होगा**

1. कार्यकारी निदेशक – अध्यक्ष

2. सचिव – सदस्य

IndiaCode

3. केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' अधिकारी के समकक्ष अनुसूचति जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी का एक अधिकारी - सदस्य"

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./162/17]

नोट : मूल विनियम दिनांक 1 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. 2/5/2011 – ईपी (एग्री VI) के जरिये भारत के राजपत्र असाधारण, भाग - III - खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था एवं बाद में दिनांक 20 मई, 2016 की अधिसूचना संख्या 2/5/2011 – ईपी (एग्री VI) के माध्यम से उसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(TOBACCO BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2017

F. No. 2/3/2016-EP (Agri.VI).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 read with sub-sections (1) and (2) of section 33 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Tobacco Board hereby makes the following regulations after the same having been approved by the Central Government as required by sub-section (3) of section 33 of the said Act, further to amend the Tobacco Board (Recruitment) Regulations,2013 namely:-

1. **Short title and commencement**:—(1) These regulations may be called the Tobacco Board (Recruitment) Amendment Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tobacco Board (Recruitment) Regulations, 2013 (herein after referred to the principal regulations), in regulation 1 for clause (e), the following clause shall be substituted namely:-

(e) "**Appointing Authority**" in relation to a Board's employee means the authority empowered to make appointment to the posts as follows:-

Executive Director.— (i) for posts under Senior Level Management other than key posts identified in prior consultation with the Government, the maximum of scale of pay of which does not exceed Rs. 39,100/- per mensem in the case of non-technical and Rs. 39,100/- per mensem in the case of technical and for posts the maximum of scale of pay of which exceeds Rs. 39,100/- per mensem in the case of non-technical and Rs. 39,100/- per mensem in the case of technical, with the approval of the Board,

(ii) for posts under "Middle Level Management",

(iii) for posts under "Junior Level Management". "

(3) In the principal regulations, in Regulation 13, for the word "Chairman", the words "Executive Director" shall be substituted

(4) In the principal regulations, in Regulation 15, for the word "Chairman", the words "Executive Director" shall be substituted

(5) In the principal regulations, in Regulation 17, for the word "Chairman", the words "Executive Director" shall be substituted

(6) In the principal regulations, in the Schedule (i) against serial numbers 1, 2 and 3 relating to the posts of Regional Manager, Manager (Finance & Accounts) and Manager (Trading Wing), in **column 13** (read as

column 12 w.e.f. Tobacco Board (Recruitment) (Amendment) Regulations, 2016) , for the entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:-

"If a DPC exists what is its composition:

1. Executive Director - Chairman
2. Secretary - Member
3. Two officers equivalent to Group A officer in the Central Government of which one officer from Scheduled Caste or Scheduled Tribe category –Member",

(ii) for serial numbers 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 28 and 34 relating to the posts of "Auction Superintendent / Senior Grading Officer", "Deputy Manager (Accts)", "Assistant Manager (Accts)", "Statistical Officer", "Personal Secretary to Chairman", "Field Officer / Technical Assistant", "Accountant / superintendent", "Senior Investigator", "Senior Translator", "Systems Analyst", "Programmer", "Hindi Officer" and "Stenographer (Grade-I)" , in **column 13** (read as column 12 w.e.f. Tobacco Board (Recruitment) (Amendment) Regulations, 2016)**,** for the entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:-

"If a DPC exists what is its composition:

1 Executive Director - Chairman
2 Secretary - Member
3 An officer equivalent to Group A officer in the Central Government from Scheduled Caste or Scheduled Tribe Category –Member".

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./162/17]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India Extra ordinary, Part-III-Section 4 *vide* notification No. 2 /5/ 2011-EP (Agri.VI) dated the 1st March, 2013 and subsequently amended vide notification no. No. 2 /5/ 2011-EP (Agri.VI) dated the 20th May, 2016.

IndiaCode

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

फा. सं. 2/3/2016–इपी (एग्री.VI).—तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 7 के साथ पठित धारा 33 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तम्बाकू बोर्ड द्वारा तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं जिनका उक्त अधिनियम की धारा 33 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) संशोधन विनियम 2017 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम, 1984 (जिसे एतदपश्चात मूल विनियम कहा जाएगा) में विनियम 15 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

15 पदों का सृजन :—बोर्ड, निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट बजट उपबंध सम्मिलित करके या समुचित शीर्ष के अन्तर्गत बचत द्वारा या विधिमान्य पुनर्विनियोजन द्वारा सरकार को सूचना देते हुए ऐसे पदों का सृजन कर सकेगा जो बजट के समय जांच के अधीन होंगे तथा सरकार द्वारा समय

समय पर पदों के सृजन के लिए जारी किए गए प्रतिबंधन आदेश के अनुपालन के भी अधीन होंगे, यदि उसकी राय में ऐसे पदों का सृजन करना इसके कार्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक है ।

परन्तु ऐसे किसी पद का सृजन जिसका अधिकतम वेतनमान गैर-तकनीकी के मामले में 39,100/- रुपये प्रतिमाह तथा तकनीकी के मामले में 39,100/- रुपये प्रतिमाह हो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि अत्यावश्यकता की दशा में ऐसे अस्थाई पद जिनका बोर्ड के हित में सृजन करना आवश्यक होगा और जिनका अधिकतम वेतनमान गैर-तकनीकी के मामले में 39,100/- रुपये प्रतिमाह तथा तकनीकी के मामले में 39,100/- रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, बोर्ड के कार्योत्तर अनुमोदन के अधीन रहते हुए अध्यक्ष द्वारा सृजित किए जा सकेंगे ।

3. मूल विनियम में, विनियम 16 में "अध्यक्ष द्वारा" शब्दों के लिए "कार्यकारी निदेशक द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. मूल विनियम में, उप विनियम (5) में विनियम 17 में, "अध्यक्ष द्वारा" शब्दों के लिए "कार्यकारी निदेशक द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./162/17]

नोट : मूल विनियम दिनांक 12.01.1985 (पीएयूएसए 22, 1906) के सं. एफ. 8/8/80-ईपी (एग्री- VI) के जरिए भारत के राजपत्र, भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित किये गये थे एवं बाद में दिनांक 8 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 4/45/99 – ईपी (एग्री VI) के माध्यम से उसमें संशोधन किया गया।

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2017

F. No. 2/3/2016-EP (Agri.VI).—In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 7 of the of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Tobacco Board hereby makes the following regulations after the same having been approved by the Central Government as required by sub-section (3) of section 33 of the said Act, the Tobacco Board further to amend the Tobacco Board (General) Regulations, 1984, namely:-

1. **Short title and commencement**:—(1) These regulations may be called the Tobacco Board (General) (Amendment) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tobacco Board (General) Regulations, 1984 (herein after referred to the Principal Regulations), for regulation 15, the following regulations shall be substituted, namely:-

"**15**. **Creation of Post**: The Board may subject to availability of funds either by inclusion of a specific budget provision for the purpose or by savings under an appropriate head or by valid re-appropriation, create such posts under intimation to Government, subject to scrutiny at the budget stage and also subject to observance of ban order for creation of posts issued by the Government from time to time, if in its opinion creation of such posts is considered necessary for the efficient performance of its functions.

Provided that no post, the maximum of scale of pay of which exceeds **Rs. 39,100** per mensem in the case of non-technical and **Rs. 39,100** per mensem in the case of technical shall be created without the previous sanction of the Central Government:

Provided further that in case of exigencies, temporary posts which would need to be created in the interest of the Board and the maximum of scale of pay which does not exceed Rs. 39,100 per mensem in the case of non-technical and **Rs. 39,100** per mensem in the case of technical may be created by the Executive Director subject to post facto approval of the Board".

3. In the principal regulations, in regulation 16, for the words "by the Chairman", the words "by the Executive Director" shall be substituted.

4. In the principal regulations, in regulation 17 in sub-regulation (5), for the words "by the Chairman", the words "by the Executive Director" shall be substituted.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./162/17]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Part-III-section 4, vide No.F8/8/80-EP (Agri.VI) dated January, 12, 1985 (PAUSA 22, 1906) and subsequently amended vide notification no. No. 4 /45/99-EP (Agri.VI) dated the 8th August, 2000.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.29 10:51:00 +05'30'